केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने को मंजूरी दी

Posted On: 18 JAN 2017 4:23PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 अधिनियमों को निरस्त करने के लिए निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017 को लाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि:

ii.

iii.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति विधि आयोग और विधायी विभाग ने निरस्त किए जाने के लिए 1824 निरर्थक और अपरचलित केंद्रीय अधिनियमों की पहचान की है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचारविमर्श और सावधानीपूर्वक पड़ताल करने के बाद संसद द्वारा 1175- केंद्रीय अधिनियमों को निरस्त करने के लिए (मई 2014 से अगसूत 2016 की अविध के दौरान) चार अधिनियमों को अधिनियमित किया गया है । जो कि

निरस्त एवं संशोधन कानून, 2015 (2015 का 17वां कानून) कानून निरस्त, निरस्त एवं संशोधन कानून 2015) 2015 ,(दवितीय) का 19वां कानून), 90 कानून निरस्त;

विनियोग अधिनियम (निरस्त)ण् 2016 (2016 का 22वां) 756 निरस्त;

रेलवे विनियोग सहित विनियोग अधिनियम;

निरस्त और संशोधन कानून, 2016 (2016 का 23वां कानून) 294 कानून निरस्त

1824 अधिनियमों में से 227 अधिनियमों (राष्ट्रपित शासन के दौरान संसद द्वारा राज्यों के लिए अधिनियमित विनियोग अधिनियमों सिहत) की पहचान राज्य सरकार द्वारा निरस्त कराने के लिए की गई है और इसके लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

केंद्र सरकार ने बाकी बचे केंद्रीय कानूनों को विभिन्न मंत्रालयों 422/विभागों के पास उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर टिप्पणी करने के लिए भेजा था। इनमें से अभी तक विधायी विभाग समेत मंत्रालयों 73/विभागों ने अपनी टिप्पणी की है, जिनमें उन्होंने 105 अधिनियमों को निरस्त करने पर सहमति जताई है जबिक वे 139 अधिनियमों को हटाने जाने से सहमत नहीं हैं। मंत्रालयों/विभागों से मिली टिप्पणी के आधार पर इस सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के लिए अधिनियमों की पहचान की गई है। 105

AKT/VBA/SH/AS

(Release ID: 1481049) Visitor Counter: 12

f







in